सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 25, गुरूवार, शाके 1943-दिसम्बर 16, 2021 *Agrahayana 25, Thursday , Saka 1943- December 16, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

अधिसूचना (घोषणा)

जयपुर, नवम्बर 19, 2021

संख्या एफ 3(2) इगानवि/ विशा/ 2019 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फव्वारा पद्धति से सिचाई हेतु चौ. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर के **रामका माईनर** के कुल 2 चकों में 3 डिग्गियों के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नाकित वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के प्रावधानो के अनुसार एंव राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 उन सब हितकारियो के निमित्त जिनका इससे सम्बंध हो की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर को कथित भूमि को अवाप्ति के लिए निर्देशित किया जाता है ।

प्रकरण में अधिनियम की धारा 11-12 के तहत विज्ञप्ति क्रमांक एफ 3 (2) इगानवि/भूअ/2019 दिनांक 20.05.2020 को जारी की गई थी। पूर्व में बजट की अनुपलब्धता एवं कोरोना महामारी के कारण कार्यवाही में विलम्ब हुआ, जिसे ध्यान में रखते हुये अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत धारा 11-12 की विज्ञप्ति में वैधता अवधि दिनांक 20.05.2021 से 6 माह अर्थात 19.11.2021 तक बढाई गई है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर तथा अधिशाषी अभियन्ता सर्वे एवं अन्वेषण लिफ्ट खण्ड प्रथम, इगानप, रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

<u>विवरण संलग्न सूची के अनुसार</u>

संलग्न-. सूची

आज्ञा से

देशराज मीणा,

उपशासन सचिव,

इंदिरा गांधी नहर विभाग,

जयपुर।

विवरण सूची
धारा-19 के भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 19 प्रस्ताव की कार्यवाही हेतु चौ .कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर प्रणाली में

फव्वारा पद्धति से सिंचाई हेतु रामका माईनर के चक 1 RMK से 2 RMK तक कुल 2 चकों में 3 डिग्गियों के निर्माण के लिए अवाप्त भूमि ग्राम-पोहडका बारानी, तहसील-रावतसर, जिला-हनुमानगढ, केनिर्माण में प्रभावित काश्तकारो की भूमि का विवरण।

क्र. स.	गाँव का नाम	चक न /. डिग्गी न.	भूमि धारक का नाम	ख.स.	खसरे का कुल रकबा) है०में(	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा		किस्म भूमि	विशेष विवरण
						हेक्टर	बीघा/बिस्वा		
1	पोहडका बारानी	1 RMK डिग्गी Aऔर 2 RMK डिग्गी -A & B	मनीराम पुत्र रामरख 1.560 हे0 जेनाराम सोहनलाल पि0 देवसीराम बहिब 0.870 हे0 सूर्या पत्नि देवशीराम 1.026 हे0 साहबराम रामचन्द्र रामेश्वरलाल पि0 देवीलाल बहिब 1.895 हे0 कोम मेघवाल सा0 पोहडका आ0 का0 बाद का।	पन 54/138					
				मुन689				बारानी 1	
				किन25	0.127	0.127	10बिस्वा		
				पन 62/138					
				मुन690					
				किन21	0.202	0.202	16बिस्वा		
				किन22	0.253	0.253	1बीघा		
				पन 63/138					
				मुन697					
				किन1	0.203	0.203	16बिस्वा	बारानी 1	
				किन2	0.253	0.253	1बीघा		
				किन9	0.253	0.253	1बीघा	बारानी 1	
				किन10	0.202	0.202	16बिस्वा		
				किन11	0.203	0.203	16बिस्वा	बारानी 1	
				किन12	0.253	0.253	1बीघा		
				किन19	0.253	0.253	1बीघा	बारानी 1	
				किन20	0.202	0.202	16बिस्वा		
				किन21	0.101	0.101	8बिस्वा		
				किन22	0.076	0.076	6बिस्वा		
				पन 55/138					
				मुन698					
				किन5	0.039	0.039	3बिस्वा	बारानी 1	
				किन6	0.025	0.025	2बिस्वा		
				किन15	0.064	0.064	5बिस्वा	बारानी 1	
				किन16	0.088	0.088	7बिस्वा		

				किन25	0.164	0.164	13बिस्वा	बारानी 1	
कूल		3				2.961	11बीघा 14 बिस्वा		

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।